प्रेस विज्ञप्ति
सत्यमेव जयते
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

संख्या - 188
20/03/2020

बिहार सूचना आयोग द्वारा 'कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार के रोकथाम संबंधी' निर्णय

पटना, 20 मार्च 2020 ::— बिहार सूचना आयोग के सचिव ने जानकारी दी है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3763, दिनांक–13.03.2020 तथा भारत सरकार / राज्य सरकार के द्वारा निर्गत अन्य समर्थकारी अनुदेशों के आलोक में कोरोना वायरस के संक्रमण/प्रसार को रोकने/कम करने के दृष्टिकोण से बिहार सूचना आयोग द्वारा निम्नांकित निर्णय लियें जाते हैं:— बिहार सूचना आयोग के न्यायालय में आवेदक एवं लोक सूचना पदाधिकारियों को तत्काल दिनांक–31.03.2020 तक सदेह उपथित होने से छूट दिया जाता है। आवेदक एवं लोक सूचना पदाधिकारी अपने वाद से संबंधित पत्र लिखित प्रतिक्रिया के माध्यम से आयोग के फैक्स सं0 0612–2235466 अथवा ईमेल–bsicpatna@gmail.com पर आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं, जिसका संधारण उनके अभिलेख वाद में किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण/प्रसार को राकने/कम करने के दृष्टिकोण से आयोग कार्यालय को सेनिटाइज कराया जा रहा है तथा रोकथाम के आवश्यक उपाय/सावधानियों को कार्यालय परिसर में जगह–जगह पर सूचना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। बिहार सूचना आयोग कार्यालय के लिफ्ट में प्रवेश से पूर्व हैंडवॉश की व्यवस्था की गई है, हैंडवॉश के उपरांत ही लिफ्ट का प्रयोग किया जाए। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में बिहार सूचना आयोग के समूह –ग एवं अवर्गीकृत समूह के कर्मियों को एक दिन बीच (Alternate Day) उपस्थिति की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

....